UPAU010018152017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।

पीठासीन अधिकारीः विकास गोस्वामी, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J0 Code: UP-2393

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 64/2017

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन पक्ष।

प्रति

अजय पुत्र जगदीश प्रजापति,

निवासी लछियामऊ, थाना दिबियापुर, जिला औरैया।

...अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या 447/2014
धारा–323,354 भारतीय दण्ड संहिता
व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
थाना–दिबियापुर, जनपद–औरैया।

निर्णय

1. प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण संख्या 64/2017, मुकदमा अपराध संख्या 447/2014 में थाना दिबियापुर, जिला औरैया द्वारा अभियुक्त अजय के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323, 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आधार पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा रामबाबू ने थाना दिबियापुर में इन तथ्यों से युक्त तहरीर दी कि प्रार्थी रामबाबू कठेरिया पुत्र श्री रामगोपाल, निवासी लछियामई, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया की पत्री वेवाह विपिन कुमार के साथ गाँव का ही दबंग गुण्डा किस्म का व्यक्ति अजय पुत्र जगदीश जाति प्रजापति, निवासी लछियामई ने आज दिनांक 26.11.2014 को समय करीब लगभग 07.30 बजे सायंकाल प्रार्थी की पुत्री को बुरी नियत से पकड़कर पटक दिया और बाल पकड़कर घसीटने लगा। जब प्रार्थी की पुत्री चिल्लाई तो उपरोक्त व्यक्ति ने मारना–पीटना शुरू कर दिया और प्रार्थी की पुत्री को बेरहमी से पीटा व प्रार्थी की पुत्री की खींचतान व मारपीट में कपड़े तक फट गये।

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.04.17 14:45:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. वादी मुकदमा रामबाबू द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना दिबियापुर, जिला औरैया में मुकदमा अपराध संख्या 447/2014 अंतर्गत धारा 323, 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अभियुक्त अजय के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत अभियुक्त अजय के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 323, 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम विचारण हेतु प्रेषित किया गया। विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा संज्ञान लिया गया। प्रस्तुत मामला सत्र न्यायालय में परीक्षणीय होने के कारण सत्र सुपुर्द किया गया, तत्पश्चात मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित होने के कारण इस न्यायालय में अंतरित किया गया।

4. अभियुक्त अजय के उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2017 को अभियुक्त अजय के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323, 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5. अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य हेतु निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये–

अभियोजन साक्षी सं०	**साक्षी का नाम**	**संक्षिप्त विवरण/साक्षी की भूमिका**
पी०डब्लू०–01	रामबाबू	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–02	विपिन कुमारी	पीड़िता/तथ्य की साक्षी
पी०डब्लू०–03	रामाधार	तथ्य का साक्षी
पी०डब्लू०–04	डॉ० विमल कुमार	पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
पी०डब्लू०–05	महिला काँ० रेखा कुमारी	पुलिस साक्षी/मुकदमा कायमी की साक्षी
पी०डब्लू०–06	अपर पुलिस अधीक्षक, शिवराज	पुलिस साक्षी/विवेचक

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं और उन्हें निम्नलिखित साक्षीगण के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है–

क्र०सं०	**प्रदर्श संख्या**	**प्रपत्र**	**अनुप्रमाणित साक्षी**
01	प्रदर्श क–01	तहरीर	पी०डब्लू०–01
02	प्रदर्श क–02	पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या	पी०डब्लू०–04
03	प्रदर्श क–03	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू०–05
04	प्रदर्श क–04	कायमी जी.डी. की प्रति	पी०डब्लू०–05
05	प्रदर्श क–05	नक्शा–नजरी घटनास्थल	पी०डब्लू०–06

06	प्रदर्श क–06	आरोप पत्र	पी०डब्लू०–06

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने कहा है कि मुकदमा झूठा चला। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

8. अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–01 रामबाबू (वादी मुकदमा) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी पुत्री विपिन कुमार की शादी राजू के साथ बजे 2004 में हुई थी। मेरे दामाद राजू की मृत्यु 2010 में हो गई थी। तब से मेरी पुत्री विपिन कुमार मेरे यहाँ ही रहती थी। पुत्री के दो बच्चे थे। दिनांक 26.11.2014 को शाम को 07.30 बजे जब मेरी पुत्री विपिन कुमारी भैंस बाँधने घर के पिछवाड़े गई थी, उसी समय किसी ने उसके साथ बुरी नियत से पकड़कर छेड़छाड़ व मारपीट कर दी थी। अभियुक्त अजय ने मेरी पुत्री के साथ कोई छेड़छाड़ व मारपीट नहीं की थी। साक्षी संख्या–01 रामबाबू ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पत्रावली पर शामिल कागज संख्या 4क/2 तहरीर को अपने हस्ताक्षर की पहचान करते हुए प्रमाणित किया है, जिस पर प्रदर्श क–01 डाला गया।

9. अभियोजन साक्षी संख्या–02 विपिन कुमारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि वादी मुकदमा रामबाबू मेरे पिता हैं। मेरी शादी वर्ष 2004 में राजू के साथ हुई थी। 2010 में राजू की मृत्यु हो गई थी, तब से मैं अपने पिता के साथ उनके घर पर रह रही थी। अभियुक्त अजय ने मेरे साथ दिनांक 26.11.2014 को 07.30 बजे शाम को भैंस बाँधकर लौटते समय गली में पकटकर छेड़छाड़ नहीं की थी, न ही मेरे साथ मारपीट की, न मेरे कपड़े फाड़े थे। मैंने शाम होने की वजह से मारपीट व छेड़छाड़ करने वालों को मैं पहचान नहीं पाई थई। मेरे शोर मचाने पर मेरे पापा मम्मी व आस पास के लोगों को देखकर वह व्यक्ति भाग गया था। अभियुक्त अजय मेरे साथ कोई छेड़खानी, मारपीट नहीं की थी।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–03 रामाधार ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि मैं अपने गाँव के वादी मुकदमा रामबाबू को जानता हूँ, वो मेरे गाँव के हैं। विपिन कुमार, रामबाबू की विधवा पुत्री है। मैं अजय पुत्र जगदीश प्रजापति, जिसका मेरे गाँव में ममाना है, उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने विपिन कुमारी के साथ अजय द्वारा दिनांक 26.11.2014 को 07.30 बजे शाम को बुरी नियत से पटककर मारपीट करते हुए नहीं देखा था और न ही अजय कुमार द्वारा रामबाबू की पुत्री विपिन कुमारी के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ व छीना झपटी करते हुए नहीं देखा था।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–04 डॉ० विमल कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि दिनांक 27.11.2014 को मैं सी.एचसी. दिबियापुर में अधीक्षक के पद पर तैनात था।

उस दिन 11.00 बजे सुबह मजरूब श्रीमती विपिन कुमारी पुत्र रामबाबू कठेरिया, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम लछियामऊ, थाना दिबियापुर, औरैया को कॉंस्टेबल रेखा कुमारी थाना दिबियापुर से मजरूबी चिट्ठी के साथ डॉक्टरी परीक्षण कराने के लिए मेरे पास आई थी। मैंने मजरूबा दाहिने हाथ का निशानी अंगूठा लगाकर प्रमाणित किया था। मैंने मजरूबा के शरीर पर निम्न चोटें पाई थी–

1. नीलगू निशान 4 सेमी X 2 सेमी गर्दन के दाहिनी ओर दाहिने कान से डेढ़ सेमी नीचे था, जो लालिमायुक्त था।

2. नीलगू निशान 5 सेमी X 2.5 सेमी गर्दन के बाई ओर बांये कान से साढ़े पाँच सेमी नीचे था, जो लालिमायुक्त थी।

3. दो या दो से अधिक नीलगू निशान 30 सेमी X 27 सेमी पीठ पर दोनों तरफ गर्दन से 14 सेमी नीचे था, जो कि लालिमा युक्त था।

4. नीलगू निशान 9 X 4 सेमी दाहिने बाँह के ऊपरी भाग में कोहनी से 9 सेमी ऊपर था, जो लालिमा युक्त था।

5. नीलगू निशिान 7 सेमी X 3 सेमी दाहिने बाँह के अगले भाग में ऊपरी हिस्से में कोहनी से 13 सेमी ऊपर था, जो लालिमायुक्त था।

6. खरोंचयुक्त नीलगू निशान 2.5 सेमी X 2 सेमी बाएं तर्जनी उंगली के पिछले भाग में, जो दांतो से कटा हुआ संभव था व लालिमायुक्त था।

7. नीलगू निशान 7 सेमी X 2 सेमी सीने के दाहिनी ओर नाभि से 9 सेमी ऊपर था, जो कि लालिमायुक्त था।

8. नीलगू निशान 7 सेमी X 2.5 सेमी पेट के दाहिनी ओर चोट नं० 7 से 6 सेमी नीचे था, जो कि लालिमायुक्त था।

मेरी राय में सभी चोटे सामान्य प्रकृति की थी, किसी कुन्द आला से आना संभव थी। सभी चोटें करीब 1/2 दिन की अवधि की थी। मैंने मजरूबा का डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी, जो कागज संख्या 10 क/1 है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया, जो मैंने आधे दिन का ड्यूरेशन बताया है, उसमें 06 घण्टे का ऊपर नीचे मार्जिन हो सकता है। मजरूबा के आई चोटें 26.11.2014 को शाम 07.30 बजे आना संभव है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–05 महिला कॉंस्टेबल रेखा कुमारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि दिनांक 26.11.2014 को मैं थाना दिबियापुर जनपद औरैया में का० के पद पर तैनात थी। उस दिन 23:05 बजे रात्रि में वादी मुकदमा रामबाबू द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर, अ०सं० 447/2014, धारा–323, 354 भा०दं०सं० व धारा 3 (1) 10, एस.सी. / एस.टी. एक्ट सम्बंधित थाना दिबियापुर बनाम अजय मुकदमा मंजीकृत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट

अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। जो संलग्न पत्रावली कागज संख्या–4 क/1 हैं जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं जिसकी में पहिचान व पुष्टि करती हूं। जिस पर प्रदर्श क– 03 डाला गया। मैंने मुकदमा कायमी का हवाला थाने की जी०डी० में रपट नं० 61 दिनांक 26.011.2014 समय 23:05 बजे किया था। जिसकी सही फोटो कॉपी संलग्न पत्रावली कागज संख्या 6 क/1 है। मूल जी०डी० पांच वर्ष से अधिक का समय हो जाने के कारण नियमानुसार नष्ट की जा चुकी है। पत्रावली में संलग्न मूल जी०डी० की कॉपी कागज संख्या 6 क/1 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी में पहिचान व पुष्टि करती हूं। जिस पर प्रदर्श क– 4 डाला गया। विवेचक ने मेरे ब्यान लिये थे।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–06 अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि दिनांक 26.11.2014 को मैं क्षेत्राधिकारी नगर औरैया जनपद औरैया के पद पर तैनात था। उस दिन थाना दिबियापुर में मुकदमा अपराध संख्या 447/2014, अंतर्गत धारा–323,354 भा०दं०सं० व धारा 3(1)X एस.सी./एस.टी. एक्ट बनाम अजय मुकदमा पंजीकृत होने पर नकल चिक नकल रपट व डाक्टरी रिपोर्ट वास्ते विवेचना व अग्रिम कार्यवाही हेतु मेरे कार्यालय से मुझे प्राप्त होने पर दिनांक 27.11.2014 को मैने विवेचना गृहण कर सीडी के पर्चा नम० 01 में नकल चिक नकल रपट, डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट श्रीमती विपिन कुमारी का हवाला सीडी में अंकित कर संलग्न केस डायरी किया। लेखक एफआईआर म०का० रेखा कुमारी के बयान अंकित किये। दिनांक 29.11.2014 को पर्चा नं० 02 में वादी मुकदमा रामबाबू कठेरिया के बयान अंकित किये व वादी की निशानदेही पर घटना का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। जो संलग्न पत्रावली कागज सं० 11 क/1 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी में पहिचान व पुष्टि करता हूं। जिस पर प्रदर्श क 05 डाला गया। मौके पर मौजूद समाई साक्ष्य सिपाही लाल व राजाराम के बयान अंकित किये। वादी के पुत्र सुनील कठेरिया व मौका के गवाह राम सिंह यादव रामाधार के बयान अंकित किये। दिनांक 01.12.2014 को पीडिता श्रीमती विपिन कुमारी का बयान धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित करने के लिये प्रभारी चौकी हरचन्दपुर को अवगत कराया गया कि बयान लिखे जाने हेतु वादी मुकदमा व पीडिता को महिला थाना भेजने हेतु निर्देशित करे। दिनांक 07.12.2014 को पर्चा नं० 04 में महिला आरक्षी द्वारा पीडिता विपिन कुमारी के बयान धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित किये गये जिसकी नकल मैने केस डायरी में अंकित की। व पीडिता विपिन कुमारी की बयान धारा 161 दं०प्र०सं० मूल रुप में मय सीडी के केस डायरी संलग्न किया। दिनाक 15.12.2014 को पर्चा नं० 05 में दौरान विवेचना उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अजय पुत्र जगदीश प्रजापति के विरुद्ध धारा 323, 354 भा०दं०सं व 3(1)X एससी/एसटी का साक्ष्य उपलब्ध होने पर उसके विरुद्ध धारा 41(1) दं०प्र०सं० का नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 31.12.2014 को सी.डी. के पर्चा नं० 06 में डाक्टर विमल कुमार के बयान अंकित किये। अभियुक्त के विरुद्ध जारी धारा 41(1) दं०प्र०सं० का नोटिस मुझे कार्यालय से प्राप्त हुआ, जिसकी पुश्त पर अंकित है कि अभियुक्त को

तलाश किया गया घर पर नहीं मिला बदस्तूर फरार है। नामित अभियुक्त अजय पुत्र जगदीश प्रजापित निवासी लछियामऊ थाना दिबियापुर जनपद औरैया के विरूद्ध धारा 323, 354 भा०दं०सं व 3(1)X एससी/एसटी का पर्याप्त साख्य पाये जाने पर आरोप पत्र सं० 28/2014 दिनांकित 31.12.2014 प्रस्तुत किया जो संलग्र पत्रावली कागज सं० 3 क/1 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पहिचान व पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

14. प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा पूर्व दिनांक को उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।

15. विद्वान लोक अभियोजक ने अभियोग कथानक का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि दिनांक 26.11.2014 को करीब 07.30 बजे शाम को अभियुक्त ने वादी मुकदमा रामबाबू की पुत्री विपिन कुमारी, जो कि अनुसूचित जाति की महिला है, को बुरी नियत से पकड़कर पटक दिया और बाल पकड़कर घसीटने लगा। उसके चिल्लाने पर अभियुक्त ने पीड़िता विपिन कुमारी के साथ मारपीट की, जिससे उसके कपड़े फट गये। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत मामले की तहरीर को प्रदर्श क–01 के रूप में प्रमाणित किया गया है तथा चिकित्सक साक्षी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण आख्या व उसमें दर्शित पीड़िता को आई चोटों को प्रमाणित किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रकरण अत्यन्त मिथ्या है व अभियोजन के तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है एवं तथ्य के सभी साक्षीगण, साक्षी संख्या–01 लगायत 03 पक्षद्रोही हो गये हैं। प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा तथा पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित किये जाने से इंकार किया है। अतः औपचारिक साक्षीगण पी०डब्लू०–04, 05 व 06 द्वारा क्रमशः चिकित्सीय प्रपत्र व पुलिस प्रपत्र साबित किये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है। अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है, उसे दोषमुक्त किया जाये।

<u>**साक्ष्य का विश्लेषण**</u>

17. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अजय पर यह आरोप है कि दिनांक 26.11.2014 को करीब 07.30 बजे शाम को अभियुक्त ने यह जानते हुए कि वादी मुकदमा रामबाबू की पुत्री विपिन कुमारी अनुसूचित जाति की महिला है, उसको बुरी नियत से पकड़कर पटक दिया और बाल पकड़कर घसीटने लगा। उसके चिल्लाने पर अभियुक्त ने पीड़िता विपिन कुमारी के साथ मारपीट की, जिससे उसके कपड़े फट गये।

18. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना वाद युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित करना होता है। उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के आधार पर न्यायालय को अब मात्र यह देखना है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 323, 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे साबित कर पाया है या नहीं?

19. अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित उपरोक्त आरोपों के सापेक्ष न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया गया।

20. अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के महत्वपूर्ण साक्षी वादी मुकदमा रामबाबू को साक्षी संख्या–01 के रूप में परीक्षित कराया गया। अभियोजन साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा रामबाबू ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "**दिनांक 26.11.2014 को शाम को 07.30 बजे जब मेरी पुत्री विपिन कुमारी भैंस बाँधने घर के पिछवाड़े गई थी, उसी समय किसी ने उसके साथ बुरी नियत से पकड़कर छेड़छाड़ व मारपीट कर दी थी। अभियुक्त अजय ने मेरी पुत्री के साथ कोई छेड़छाड़ व मारपीट नहीं की थी।**" इस प्रकार साक्षी संख्या–01 रामबाबू वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्त अजय द्वारा उसकी पुत्र के साथ छेड़छाड़ व मारपीट किये जाने से इंकार किया है। साक्षी संख्या–01 रामबाबू को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई। साक्षी संख्या–01 रामबाबू ने अपनी प्रतिपरीक्षा की शुरुआत में ही यह कथन किया है कि "**घटना के समय मैं मौके पर मौजूद नहीं था, मैं घर के अंदर था। जब मैं मौके पर पहुँचा, तब तक मुल्जिम भाग गया था। मैंने स्वयं घटना होते नहीं देखी थी। अभियुक्त अजय का नाम मैंने लोगों के बताने के आधार पर घटना कारित करने वालों में लिखा दिया था। यद्यपि साक्षी संख्या–01 ने पत्रावली पर शामिल कागज संख्या 4क/2 तहरीर को अपने हस्ताक्षर की पहचान करते हुए प्रमाणित किया है, जिस पर प्रदर्श क–01 डाला गया, परंतु तहरीर के संबंध में यह कहा है कि मैं पढ़ालिखा नहीं हूँ। केवल हस्ताक्षर बना लेता हूँ। गाँव के लोगों ने तहरीर लिखी थी। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये थे।**" आगे प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ संख्या–03 (कागज संख्या–45क/3) के तीसरे प्रस्तर में कथन किया है कि "**घटना के संबंध में सी.ओ. साहब ने मुझसे कोई पूछताँछ नहीं की, न घटनास्थल उनको दिखाया था। गवाह को धारा 161 दं०प्र०सं० दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, कैसे लिख दिया, वजह नहीं बता सकता। मेरी पुत्री विपिन कुमारी व पुत्र सुनील ने घटना कारित करने वालों में अभियुक्त अजय का नाम नहीं बताया था, न ही मैंने अजय को घटना करते मौके से भागते देखा था।**" अतः साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा रामबाबू की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के बयानों से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

21. अभियोजन पक्षी को ओर से तथ्य की दूसरी साक्षी पीड़िता विपिन कुमारी को अभियोजन साक्षी संख्या–02 के रूप में परीक्षित कराया गया है। साक्षी संख्या–02 विपिन कुमारी ने अपनी

मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि "**अभियुक्त अजय ने मेरे साथ दिनांक 26.11.2014 को 07.30 बजे शाम को भैंस बाँधकर लौटते समय गली में पटककर छेड़छाड़ नहीं की थी, न ही मेरे साथ मारपीट की, न मेरे कपड़े फाड़े थे। मैंने शाम होने की वजह से मारपीट व छेड़छाड़ करने वालों को मैं पहचान नहीं पाई थई। मेरे शोर मचाने पर मेरे पापा मम्मी व आस पास के लोगों को देखकर वह व्यक्ति भाग गया था। अभियुक्त अजय मेरे साथ कोई छेड़खानी, मारपीट नहीं की थी।**" इस प्रकार साक्षी संख्या–02 पीड़िता विपिन कुमारी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्त अजय द्वारा उसके साथ घटना कारित किये जाने से इंकार किया है। साक्षी संख्या–02 को भी पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई। साक्षी संख्या–02 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "**मैं मारपीट व छेड़खानी करने वाले को अंधेरा होने के कारण पहचान नहीं पाई थी। अभियुक्त अजय ने मुझे पकड़कर बुरी नियत से जमीन पर नहीं पटका था, न मेरे ऊपर बैठा था, न ही मेरे सीने पकड़े थे, न ही मेरे साथ मारपीट की थी। सी.ओ. साहब व महिला काँ० ने मेरे बयान नहीं लिये थे। गवाह को 161 दं०प्र०सं० का बयान कागज संख्या 7क/1 दिखाया व पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि मैंने महिला काँ० को ऐसा कोई बयान नहीं दिया, कैसे लिख दिया, वजह नहीं बता सकती।**" इस प्रकार साक्षी संख्या–02 पीड़िता विपिन कुमारी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा के बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्त अजय द्वारा कथित घटना कारित किये जाने से इंकार किया है। साक्षी संख्या–02 पीड़िता ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन कथानक को बल मिलता हो।

22. अभियोजन की ओर से तथ्य के एक अन्य साक्षी रामाधार को अभियोजन साक्षी संख्या–03 के रूप में परीक्षित कराया गया है। साक्षी संख्या–03 रामाधार ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि "**मैंने विपिन कुमारी के साथ अजय द्वारा दिनांक 26.11.2014 को 07.30 बजे शाम को बुरी नियत से पटककर मारपीट करते हुए नहीं देखा था और न ही अजय कुमार द्वारा रामबाबू की पुत्री विपिन कुमारी के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ व छीना झपटी करते हुए नहीं देखा था।**" इस प्रकार साक्षी संख्या–03 ने भी अभियुक्त द्वारा पीड़िता विपिन कुमारी के साथ किसी प्रकार की घटना कारित करते हुए देखने से स्पष्ट इंकार किया है तथा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। साक्षी संख्या–03 को भी पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई। साक्षी संख्या–03 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः साक्षी संख्या–03 के संपूर्ण बयानों से भी अभियोजन कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है।

23. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा संदेह से परे अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा अपने कथनों में अभियुक्त अजय द्वारा

पीड़िता विपिन कुमारी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट की घटना कारित किये जाने को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य इस स्तर के विश्वसनीय नहीं हैं, जिनके आधार पर अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित होता हो।

24. अभियोजन की ओर से पीड़िता विपिन कुमार के चिकित्सीय परीक्षणकर्ता डॉ० विमल कुमार को अभियोजन साक्षी संख्या–04 के रूप में परीक्षित कराया गया है। साक्षी संख्या–04 डॉक्टर सऊद अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 27.11.2014 को सी.एच.सी. दिबियापुर में अधीक्षक के पद पर तैनात रहते हुए स्वयं के द्वारा काँ० रेखा कुमारी के साथ आई पीड़िता विपिन कुमारी का चिकित्सीय परीक्षण किये जाने का बयान दिया है तथा पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या कागज संख्या–10 क/1 को प्रमाणित किया है, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। यद्यपि साक्षी संख्या–04 के बयानों के अनुसार, पीड़िता के शरीर पर कुल 08 चोटें होना बताया गया है, परंतु यहाँ यह उल्लेख किया जाना वाँछनीय है कि प्रस्तुत मामले की पीड़िता विपिन कुमारी, उसके पिता वादी मुकदमा रामबाबू व तथ्य के अन्य साक्षी रामाधार ने अभियुक्त अजय द्वारा पीड़िता विपिन कुमारी के साथ छेड़छाड़ करने, उसे जमीन पर पटकने व मारपीट करने की घटना से इंकार किया है। अतः मात्र चिकित्सक साक्षी व चिकित्सीय साक्ष्य में पीड़िता के चोटें होने के आधार पर अभियुक्त अजय को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के किसी साक्षीगण द्वारा संदेह से परे इस तथ्य को साबित नहीं किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ छेड़छाड़ व उसे पटककर मारपीट की गई है।

25. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य सभी साक्षीगण, पुलिस साक्षी हैं, जिनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में किये गये मुकदमा कायमी व विवेचना आदि कार्यों का उल्लेख कर पुलिस प्रपत्रों को प्रमाणित किया गया है। इन साक्षीगण में से अभियोजन साक्षी संख्या 05 महिला काँस्टेबल रेखा कुमारी प्रस्तुत मामले में मुकदमा कायमी की साक्षी है, उसके द्वारा प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 क/1 व कायमी जी.डी. की प्रति कागज संख्या 6 क/1 को साबित किया गया है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–03 व प्रदर्श क–04 डाला गया। इसी प्रकार अभियोज साक्षी संख्या–06 अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रस्तुत मामले के विवेचक हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत मामले किये गये विवेचना कार्य का उल्लेख करते हुए घटनास्थल के नक्शा–नजरी कागज संख्या–11 क/1 व अभियुक्त अजय के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र कागज संख्या– 3 क/1 को प्रमाणित किया गया है, जिन पर क्रमश प्रदर्श क–05 व प्रदर्श क–06 डाला गया।

26. चूंकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के सभी साक्षीगण अभियोजन साक्षी संख्या–01, 02 व 03 के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक व अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते है। अतः ऐसी स्थिति में मात्र औपचारिक साक्षीगण, अभियोजन साक्षी संख्या 05 एवं 06 के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–03 व कायमी जी.डी. की प्रति प्रदर्श क–04,

घटनास्थल के नक्शा–नजरी प्रदर्श क–05 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क–06 को साबित किये जाने के आधार पर अभियुक्त अजय के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323, 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम संदेह से परे साबित होना नहीं माने जा सके।

27. अभियोजन की ओर से तथ्य का या अन्यथा कोई साक्षी इस प्रकृति का परीक्षित नहीं हुआ है, जिससे किसी प्रकार अभियोग कथानक प्रमाणित होता हो। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोग कथानक की पुष्टि नहीं करती है।

28. अभियोजन का यह दायित्व है कि वह सम्पूर्ण अभियोग कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे, जो कि अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। सम्पूर्ण अभियोग कथानक संदेहजनक एवं मिथ्या साक्ष्य पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **Amar Singh Vs. State of N.C.T. of Delhi 2020 SCC Online S.C. 826** में यह धारित किया गया है कि, जहां पर साक्ष्यों में विरोधाभास है, अभियोग कथानक में असंगत कथन किये गये हैं तथा साक्षी का आचरण सामान्य मानवीय स्वभाव से भिन्न है, वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित नहीं है।

29. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **राजस्थान राज्य प्रति शीशपाल ए0आई0आर0 2016 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 4958** में यह प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना वाद, अभियुक्त को दोषसिद्ध स्थापित करने के लिए, सभी तर्क संगतपूर्ण संदेह से परे प्रमाणित करना होगा, अपने वाद को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार सदैव अभियोजन पर होता है। यह सिद्ध भार कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है।

30. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **खेमराज प्रति हिमाचल राज्य (2018) 1 एस0सी0सी0 पृष्ठ 202** में यह मत व्यक्त किया गया है कि–

"The well established canon of criminal justice is, fouler the crime higher the proof. In unmistakable terms, it is the mandate of law that the prosecution in order to suceed in a criminal trial, has to prove the criminal charge(s) beyond all reasonable doubt. The prosecution has to be in the category of "**must be true" and not "may be true.**" ....."

31. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Chunthuran Vs. State of Chhattisgarh AIR Online 2020 SC 799** तथा अनेकों अन्य निर्णयज विधियों में यह अवधारित किया गया है कि यह अपराध विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से दो संभावनायें निकलती है, एक अभियुक्त की दोषमुक्ति का तथा दूसरा अभियुक्त की दोषसिद्धि

का, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के दोषमुक्ति की संभावना बलवती होती है तथा इस संभावना का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा **Selva Raj Vs. State of Tamil Nadu (1976) 4 SCC 343** में यह धारित किया गया है कि, जहां पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण से अभियोग कथानक अत्यधिक असंभाव्य सहज मानवीय स्वभाव के विपरीत एवं विरोधाभासी है, तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित नहीं है।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिगम्बर वैष्णव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (एआईआर 2019 एससी 1367)** में यह अवधारित किया गया है कि

"17–In Varkey Joseph v. State of Kerala, 1993 Suppl (3) SCC 745, this Court has held that suspicion is not the substitute for proof. There is a long distance between 'may be true' and 'must be true' and the prosecution has to travel all the way to prove its case beyond reasonable doubt.

In Sujit Biswas v. State of Assam, (2013) 12 SCC 406, this Court, while examining the distinction between 'proof beyond reasonable doubt' and 'suspicion' has held as under:

"13. Suspicion, however grave it may be, cannot take the place of proof, and there is a large difference between somehing that "may be" proved, and something that "will be proved". In a criminal trial, suspicion no matter how strong, cannot and must not be permitted to take place of proof. This is for the reason that the mental distance between "may be" and "must be" is quite large, and divides vague conjectures from sure conclusions. In a criminal case, the court has a duty to ensure that mere conjectures or suspicion do not take the place of legal proof. The large distance between "may be" true and "must be" true, must be covered by way of clear, cogent and unimpeachable evidence produced by the prosecution, before an accused is condemned as a convict, and the basic and golden rule must be applied. In such cases, while keeping in mind the distance between "may be" true and "must be" true, the court must maintain the vital distance between mere conjectures and sure conclusions to be arrived at, on the touchstone of dispassionate judicial scrutiny, based upon a complete and comprehensive appreciation of all features of the case, as well as the quality and credibility of the evidence brought on record. The court must ensure, that miscarriage of justice is

avoided, and if the facts and circumstances of a case so demand, then the benefit of doubt must be given to the accused, keeping in mind that a reasonable doubt is not an imaginary, trivial or a merely probable doubt, but a fair doubt that is based upon reason and common sense".

33. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष, अभियुक्त अजय के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323, 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त अजय, उस पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323, 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

34. वादी मुकदमा रामबाबू द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क-01 के आधार पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने का उल्लेख किया गया था तथा न्यायालय के समक्ष वह शपथ पर सत्य बात कहने के लिए आबद्ध था, परन्तु उसने न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया मिथ्या साक्ष्य दिया है, जिससे उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

1. विशेष सत्र परीक्षण संख्या 64/2017, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 447/2014, पुलिस थाना दिबियापुर जनपद औरैया में अभियुक्त अजय को धारा 323, 354 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्त जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को दायित्वमुक्त किया जाता है।

3. अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त धारा 437(क) दं0प्र0सं0 के प्राविधान के तहत अंकन 25,000/-रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करे। उक्त बन्धपत्र व प्रतिभूपत्र छहः माह के लिए प्रभावी होंगे।

4. वाद से सम्बन्धित सभी प्रपत्र एक वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे तथा अपील होने पर उनका निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार एवं अपील न होने पर नियमानुसार किया जायेगा।

5. वादी मुकदमा/अभियोजन साक्षी संख्या-01 रामबाबू के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अन्तर्गत पृथक से प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस निर्गत किया जाये।

6. जिलाधिकारी, औरैया को निर्देशित किया जाता है कि इस मुकदमें के वादी मुकदमा रामबाबू अथवा पीड़िता विपिन कुमारी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई प्रतिकर सहायता धनराशि प्रदान की गयी हो तो वह नियमानुसार वसूल कर ली जाए तथा तत्संबंधी अनुपालन आख्या इस न्यायालय को यथाशीघ्र प्रेषित की जाए।

दिनांक– 17.04.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
J.O. Code UP2393

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 17.04.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
J.O. Code UP2393